न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—9 / 2017 / 225 (2017 / 00009)

1. नाहरा दत्तक पुत्र धन्ना, जाति जाट, निवासी कासीर, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गणेशी पुत्री धन्ना, जाति जाट, निवासी काशीर, तहसील सरवाड, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. गोपाल पुत्र लादू,
4. रामसिंह पुत्र लादू,
5. हजारी पुत्र चन्द्रा,
6. लादी बेवा भूरा,
7. प्रहलाद पुत्र भूरा,
8. प्रधान पुत्र भूरा,
9. राजी बेवा बन्ना,
10. कानी पुत्री बन्ना,
11. हगामी पत्नि हजारी,

समस्त जाति जाट, नि0 काशीर, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा **रेस्पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 10.1.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 61 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री आर0पी0 शर्मा एवं रामसुख चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय दिनांक 10.1. 2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92—ए, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 व प्रफोर्मा रेस्पो0 के पेश किया साथ ही प्रार्थना पत्र

अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अपीलांट व रेस्पो0 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात है जिस पर सभी संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । यह आराजियात पूर्व में धन्ना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी व धन्ना के जायंदा पुत्र नहीं होने से उन्होंने अपीलांट को गोद लिया था व अपीलांट धन्ना का गोद पुत्र होने से धन्ना की सम्पति को प्राप्त करने का अधिकारी है । धन्ना की पत्नि श्रवणी का सामाजिक क्रियाक्रम भी अपीलांट द्वारा ही किया गया था । प्रार्थी को समाज के समक्ष समस्त रीति–रिवाज के अनुसार गोद लिया गया तब से ही अपीलांट विवादित आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परन्तु गलत रूप से आराजी मुतनाजा को अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई है जबबिक गोदपुत्र की हसियत से व वसीयत से उपरोक्त आराजी का एकमात्र वारिस अपीलांट ही है । विपक्षी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आराजी गलत दर्ज होने से अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा को बेचान व बख्शीश करने पर आमादा है इसलिये दौराने वाद विपक्षी को पाबंद किया जावे । उपरोक्त प्रार्थना पत्र को अधी0न्याया0 द्वारा दर्ज कर दिनांक 9.6.2016 को प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पारित करने का आदेश प्रदान कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये जिस पर अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब पेश किया व कथन किया कि अप्रार्थीया ने अपने हिस्से की आराजी को जरिये अलग–अलग तीन पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से श्रीमती विमला देवी, श्रीमती रामकन्या व श्रीमती कमला देवी को दिनांक 20.6.2016 को ही विक्रय कर दी है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 10.1.2017 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी पैत्रिक भूमि है, पैत्रिक भूमि में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखा जाना वैधानिक रूप से अनिवार्य है जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 9.6.2016 को ही अपीलांट के पक्ष में यथास्थिति के आदेश प्रदान कर दिये थे इसके बावजूद भी विपक्षी ने गैर कानूनी रूप से विवादित आराजी मुतनाजा का बेचान विभिन्न विक्रय पत्रों के माध्यम से कर दिया जो कि प्रथमदृष्टया ही स्थगन के प्रभावी रहने से शून्य है परन्तु फिर भी अधी0न्याया0 ने अपीलांट के पक्ष में पारित उक्त स्थगन आदेश को निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट धन्ना का गोद पुत्र है व धन्ना की बेवा श्रीमती श्रवणी ने अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 8.10.1997 को निष्पादित करने से अपीलांट ही एकमात्र वारिस होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में निहित करता है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी

को दावे के विचाराधीन रहते सुरक्षित किया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य है जिससे कि अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं बढ़े इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र धारा 212 की मंशा के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 9.6.2016 को प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलांट के पक्ष में मानकर स्थगन आदेश पारित किया था परन्तु दिनांक 10.1.2017 को बिना किसी आधार के अपीलांट के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । विवादित आराजियात पैत्रक भूमि है । वादी/अपीलांट व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है व विवादित आराजी के सहखातेदार है इसलिये कानूनन प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के कानून के विपरीत अपीलांट का कब्जा नहीं मानने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस कानूनी तथ्य को नजरअंदाज किया कि उनके द्वारा प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश दिनांक 9.6.2016 को पारित किये जाने के बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.6.2016 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कर दिये गये जो स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए तस्दीक किये गये है जिसका अंकन भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर धारा 39 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत लगा हुआ है। इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने स्वंय ही विक्रय पत्रों के माध्यम से नामांतकररण खुलवाने की रेस्पो0 को छूट प्रदान कर दी है जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी को किसी प्रकार से रहन, बय, मुंतकिल नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 के पिता स्व0 धन्ना ने कभी भी अपीलांट नाहरा को गोद नहीं लिया है तथा न ही कभी नाहरा स्व0 धन्ना के पास रहा है । नाहरा के पिता का नाम लादू है । धन्ना की मृत्यु के बाद रेस्पो0 संख्या 1 अपनी माता श्रवणी के पास रहा है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 का 1/5 हिस्सा है जिसे उसने तीन अलग–अलग विक्रय पत्रों से श्रीमती विमलादेवी, श्रीमती रामकन्या व श्रीमती कमलादेवी को विक्रय कर पंजीयन करवा दिया है । रेस्पो0 संख्या 1 को अपने हिस्से की आराजी को विक्रय करने का पूर्ण विधिक अधिकार है । विवादित आराजियात पर कभी भी अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं रहा है । अपीलांट ने मनगढ़ंत एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी नाहरा के द्वारा यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया किया ग्राम काशीर, तहसील सरवाड़ स्थित अपीलाधीन भूमियां धन्ना की खातेदारी की थी तथा धन्ना द्वारा सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार प्रार्थी/अपीलांट को गोद ले लिया था तथा धन्ना की पत्नि श्रवणी का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थी अपीलाधीन भूमियों का एकमात्र धन्ना का

गोदपुत्र होने के कारण भूमि की खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है तथा अपीलाधीन भूमि धन्ना की पुत्री गणेशी के नाम राजस्व अभिलेख में गलत दर्ज कर दी गई । इस कारण घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करने हेतु निवेदन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमियां जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में गणेशी पुत्री धन्ना कौम जाट हिस्सा 1/5 साकिन देह खातेदार दर्ज है । प्रार्थी ने गोदपुत्र के संबंध में कोई पंजीबद्ध गोदनामा अधी0न्याया0 के समक्ष पेश नहीं किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खातेदार गणेशी पुत्री धन्ना के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र कमला पत्नि रामधन जाट को हस्तातंरित कर दी गई है, के संबंध में न्यायालय सिविल जज साहब सरवाड़ के समक्ष दीवानी वाद बाबत् निरस्तीकरण बयनामा व 1/5 हिस्से के खातेदारी घोषणा के संबंध में वाद प्रस्तुत कर रखा है । अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निर्णित करते समय प्रार्थी/अपीलांट अपीलाधीन भूमि का खातेदार है अथवा नहीं यह देखना आवश्यक है । प्रथमदृष्टया प्रार्थी/अपीलांट अपीलाधीन भूमियों का खातेदार काश्तकार नहीं है । अपीलाधीन भूमि कब्जे काश्त के संबंध में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की गई है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् प्रतीत होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है । ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.1.2017 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Mehrada
Date: 2019.12.05 12:48:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: